न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 36/2026

GCMS No. : 2026/70

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जरिये सरकार सुरेशचंद शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		निर्मल चौधरी पुत्र श्री भंवरलाल चौधरी, जाति सीरवी, निवासी 151 कॉलेज रोड बापु नगर विस्तार, पाली मैसर्स मिल्क स्टेशन मंत्रा फुड एण्उ बेवरेज एनएच 162 किसान केसरी पेट्रोल पम्प के पिछे मानपुरा बाईपास रोड पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी स्वंय उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांकः 23.03.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक प.5(01)चिस्वा/ग्रुप–3/2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ./खा.सु एवं औ.नि./संस्था/2025/101/दिनांक 15.01.2025 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली आवंटित किया गया हैं एवं पाली जिलें में आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र प्रार्थी के कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 05.03.2025 दौराने गश्त अप्रार्थी के मैसर्स मिल्क स्टेशन मंत्रा फुड एण्ड बेवरेज एनएच 162 किसान केसरी पेट्रोल पम्प के पीछे मानपुरा बाईपास रोड पाली पर पहुंचा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम निर्मल चौधरी पुत्र भंवरलाल चौरी बताया एवं स्वंय फर्म का मालिक होना बताया। वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की फर्म में रखे फ्रिज में 250–250 ग्राम पैकिंग में लगभग 80–100 पैकेट पैक पनीर रखा हुआ था। जिसे अप्रार्थी आमजन को बेच रहा था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने पनीर का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी एवं गवाहान को यह बता दिया कि यह नमुना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। स्वतंत्र गवाह के रूप में वहां उपस्थित मनीष चौधरी एवं साथ आये खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 01 किलो पनीर वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 360/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा पनीर कों नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–2825 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया पनीर का नमुना संख्या आर–2825 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/141/एक्ट/2025/76 दिनांक 19.03.2025 के अनुसार Sub-Standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जाचं पुनः करवाना चाहते है या अपना कोई पक्ष रखना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) पनीर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से दिनांक 05.03.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

2025 को पनीर का नमुना लिया गया। हमारी फर्म में डेयरी के अन्य उत्पाद घी दुध दही व पनीर का निर्माण खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाता है एवं उन्हे पैक्ट अवस्था में ही आमजन को विक्रय हेतु भेजा जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हमारी फर्म से पनीर का नमुना भी पैकेट पनीर का लिया था लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पनीर का नमुना सेम्पल खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में भिजवाने से पूर्व उसे मौके पर खोल कर भिजवाया जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियमों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उसी अवस्था में जांच हेतु प्रयोगशाला में भिजवाना चाहिए जिस अवस्था में फर्म द्वारा आमजन को भिजवाया जाता है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म से पनीर का नमुना दिनांक 05.03.2025 को लिया एवं उसे जाचं हेतु खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर दिनांक 11.03.2025 को भिजवाया ऐसे कि नमुना पनीर के खराब होने की पुर्ण संभावना बनी रहती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी कि फर्म से नमुना लेने व उसे खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाने में खाद्य सुरक्षा अधिनियमों कि पालना नहीं है। ऐसे में हस्तगत प्रकरण चलने योग्य नहीं होने से अप्रार्थी के विरूद्व प्रकरण ड्रोप फरमावे।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया एंव अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.03.2025 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मिल्क स्टेशन मंत्रा फुड एण्ड बेवरेज एनएच 162 किसान केसरी पेट्रोल पम्प के पीछे मानपुरा बाईपास रोड पाली से लिया गया पनीर का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–2825 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये पनीर का नमुना कोड संख्या आर–2825 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी फर्म से लिया गया पनीर का नमुना अवमानक (Sub-Standard) पाया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पैकेट पनीर को खोल कर खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला भिजवाया एवं दिनांक 05.03.2025 को सेम्पल लेकर दिनांक 11.03.2025 को वास्ते जांच हेतु खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि अप्रार्थी कि फर्म से पनीर का जो नमुना लिया गया वह पैकेट खोल कर उसमें नियमानुसार 20 बुंद फार्मेलीन मिलाया गया जिसका प्रभाव 7–15 दिनों तक रहता है, जिससे उक्त पनीर खराब नहीं होता है। चूंकि नमुना दिनांक 05.03.2025 को लिया एवं दिनांक 11.03.2025 को वास्ते जाचं लैब में भेजा गया, उक्त समस्त प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा अधिनियम कि धारा 47 के तहत की है जो कि नियमानुसार एवं विधिवत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा अवमानक स्तर के पनीर का उत्पादन/विक्रय/विनिमय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) पनीर का उत्पादन/विक्रय/विनिमय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 11,000/– अक्षरे ग्यारह हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी से 15 दिवस में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली